


RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS


UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण



DATE
जनवरी
04
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors



By Ankit Avasthi Sir

रक्षा सुधार वर्ष: 2025 / Defense reform years: 2025

संदर्भ:

रक्षा मंत्रालय ने 2025 को "रक्षा सुधार वर्ष" घोषित किया है। यह निर्णय सशस्त्र बलों को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

रक्षा बलों में सुधार क्यों आवश्यक हैं?

1. राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) का अभाव:

- NSS की कमी से रक्षा रणनीतियों और राष्ट्रीय नीतियों के बीच समन्वय का अभाव है।
- चीन और पाकिस्तान जैसे उभरते खतरों के खिलाफ तैयारी में कमी देखी गई है।

2. साइबर युद्ध का बढ़ता खतरा:

- साइबरस्पेस युद्ध का पांचवां क्षेत्र बन चुका है, जहां राज्य-प्रायोजित हमले आर्थिक और सैन्य ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
- यूक्रेन-रूस संघर्ष इसका ताजा उदाहरण है।

3. आयात पर निर्भरता:

- भारत 2019-23 के दौरान विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा।
- धीमी स्वदेशीकरण प्रक्रिया और घरेलू रक्षा उद्योग की चुनौतियां आत्मनिर्भरता में बाधा हैं।

4. सांस्कृतिक प्रतिरोध: भारतीय सैन्य सेवाओं (थलसेना, नौसेना, वायुसेना) के अलग-अलग दृष्टिकोण से संयुक्त मॉडल अपनाने में बाधा आती है।

5. अपर्याप्त वित्तीय संसाधन: रक्षा बजट कुल GDP का केवल 1.9% है, जो आधुनिक उपकरण, तकनीक और बुनियादी ढांचे के विकास को सीमित करता है।

6. आवश्यक खरीद प्रक्रियाओं का अभाव: गलवान संघर्ष (2020) के बाद आपातकालीन खरीद प्रक्रियाएं अपनाई गईं, जो रणनीतिक तैयारियों की कमी को उजागर करती हैं।

7. अल्पकालिक नीतियां: अग्निपथ योजना की 6 महीने की प्रशिक्षण अवधि पर सवाल उठे हैं, जो सैनिकों की युद्ध तैयारी और सेना के मनोबल को प्रभावित कर सकती है।

8. साइबर और तकनीकी चुनौतियां: आधुनिक युद्ध में तकनीकी श्रेष्ठता आवश्यक है, लेकिन भारत के पास उन्नत साइबर सुरक्षा और डिजिटल क्षमताओं की कमी है।

2025: रक्षा सुधार के प्रमुख क्षेत्र:

- संयुक्तता और एकीकरण: Integrated Theatre Commands (लखनऊ, जयपुर, तिरुवनंतपुरम) की स्थापना और संयुक्त संचालन।**
- उभरती प्रौद्योगिकियां:**
 - AI, साइबर, अंतरिक्ष, हाइपरसोनिक्स, और रोबोटिक्स में निवेश।
 - तकनीकी साझेदारी और नवाचार को प्रोत्साहन।
- सरल अधिग्रहण:** रक्षा खरीद प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाना।
- रक्षा निर्यात: ₹21,000 करोड़ का रक्षा निर्यात, भारत को विश्वसनीय निर्यातक बनाना।**
- पूर्व सैनिक कल्याण:** पूर्व सैनिकों की भलाई और स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा।

लक्ष्य: आत्मनिर्भर और आधुनिक रक्षा शक्ति बनाना।

हालिया रक्षा सुधार:

- अंतरिक्ष और साइबर एजेंसियां:** रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA) और साइबर एजेंसी (DCA) की स्थापना।
- रक्षा निर्यात: 2025 तक \$5 बिलियन रक्षा निर्यात का लक्ष्य;** ब्रह्मोस मिसाइल जैसे उत्पादों का निर्यात।
- सरल खरीद प्रक्रिया: Defence Acquisition Procedure (DAP) 2020 के तहत खरीद प्रक्रिया तेज और सरल बनाना।**
- आत्मनिर्भर भारत:** स्वदेशीकरण पर ध्यान, रक्षा आयात को सीमित करने की नकारात्मक सूची और रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना।
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS):** 2020 में स्थापित, तीनों सेनाओं (थलसेना, वायुसेना, नौसेना) में संयुक्तता बढ़ाने के लिए।
- अग्निपथ योजना:** 4 वर्षों के लिए अल्पकालिक सैनिक भर्ती, आधुनिकरण और पेंशन खर्च कम करने का प्रयास।

न्यायपालिका में असहमति की प्रकृति / Nature of dissent in the judiciary

संदर्भ:

न्यायपालिका किसी भी देश के कामकाज का एक अभिन्न हिस्सा है और यह न तो समाज में और न ही खुद के भीतर असहमति से मुक्त हो सकती है। असहमति, विचारों के आदान-प्रदान और न्यायिक प्रक्रिया के विकास के लिए आवश्यक है।

न्यायपालिका में असहमतिपूर्ण मत (Dissent):

1. **अर्थ: असहमतिपूर्ण (Dissent)** मत का मतलब है, न्यायालय में बहुमत के विचार से सहमत न होना।
2. **महत्व:** यह न्यायिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3. **विचारों की विविधता:** यह न्यायाधीशों को कानूनी मुद्दों पर अलग-अलग विचार व्यक्त करने का अवसर देता है, जो राजनीतिक, सामाजिक या बौद्धिक कारणों पर आधारित हो सकते हैं।
4. **विचारों की विविधता का प्रदर्शन:** यह न्यायिक प्रणाली में विचारों की विविधता को प्रदर्शित करता है।

संविधान में असहमतिपूर्ण मत (Dissent) का अधिकार:

संवैधानिक स्थिति:

- असहमतिपूर्ण मत को अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के माध्यम से मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है।
- यह अधिकार नागरिकों को उनके विपरीत विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है।

अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार:

- **अनुच्छेद 19(1)(a):** यह सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 19(1)(b):** यह शांति से और बिना हथियारों के सभा आयोजित करने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 19(1)(c):** यह नागरिकों को संघ या संगठनों का निर्माण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

असहमति और लोकतंत्र:

- लोकतंत्र का आधार असहमति (Dissent) में निहित होता है।
- जिन समाजों में स्वतंत्रता का मूल्य है, वहाँ सवाल उठाना, चुनौती देना और आलोचना करना सिर्फ सहन नहीं किया जाता, बल्कि इसे नागरिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।

असहमति (Dissent) के महत्व:

न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा: असहमति न्यायाधीशों को बहुमत के फैसलों से असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता देती है।

- यह न्यायपालिका में खुली बहस की संस्कृति को प्रोत्साहित करती है, जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।

कानूनी मिसाल का निर्माण: असहमति भविष्य के कानूनी निर्णयों को प्रभावित कर सकती है।

- **उदाहरण:** ADM जबलपुर और पी.वी. नरसिम्हा राव जैसे मामलों में असहमति ने भविष्य के निर्णयों को आकार दिया।

सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा: असहमति महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर सार्वजनिक चर्चा को प्रोत्साहित करती है।

- यह वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर समाज के मूल्यों और चिंताओं को उजागर करती है, जिससे लोकतांत्रिक संवाद समृद्ध होता है।

भारत में न्यायिक असहमति से जुड़ी चुनौतियां और आलोचनाएं

1. प्रतिशोध का जोखिम:

- असहमति जताने वाले न्यायाधीश पेशेवर नुकसान या पदोन्नति में बाधा का सामना कर सकते हैं।
- उदाहरण: **एडीएम जबलपुर मामले** में असहमति के बाद न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया।

2. दुर्लभ असहमति:

- सुप्रीम कोर्ट में असहमति के मामले कम ही देखे जाते हैं।
- मुख्य न्यायाधीश आमतौर पर संवैधानिक पीठ के मामलों में असहमति से बचते हैं, जिससे स्वतंत्र विचारों पर सामूहिकता हावी होती है।

3. जन धारणा का दबाव:

- असहमति को कभी-कभी न्यायिक एकता के खिलाफ समझा जाता है।
- नकारात्मक प्रतिक्रिया के डर से न्यायाधीश खुलकर असहमति जताने से बचते हैं।

स्थिरीकरण लाइसोजाइम द्विपरत / Stabilizing Lysozyme Bilayers

संदर्भ:

भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान-गुवाहाटी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने सिलिकॉन सतहों पर लाइसोजाइम बाइलेयर्स को स्थिर करने पर नए अध्ययन विकसित किए हैं।

- यह काम जीवित जीवों में प्रोटीन के आयनिक-संबंधी चिपकने वाले तंत्र को दोहराता है, जो इम्प्लांट्स और बायोमटेरियल्स से जुड़े जैविक प्रक्रियाओं के अध्ययन में सहायक होगा।

आईएसएसटी द्वारा लाइसोजाइम बाइलेयर पर शोध:

1. शोध का उद्देश्य:

- सिलिकॉन सतहों पर **लाइसोजाइम बाइलेयर्स** का निर्माण, जिसमें विभिन्न आयनों का उपयोग किया गया:
 - मोनोवैलेन्ट आयन (Na^+)
 - डाइवैलेन्ट आयन (Ca^{2+})
 - ट्राइवैलेन्ट आयन (Y^{3+})

2. प्रमुख निष्कर्ष:

- आयन-आधारित लाइसोजाइम एडसॉर्प्शन** जीवों की प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करता है।
- आयन **जैविक प्रक्रियाओं** और **प्रोटीन-सतह अंतःक्रियाओं** को नियंत्रित करते हैं।
- बाइलेयर संरचना:
 - निचली परत:** साइड-ऑन ओरिएंटेशन।
 - ऊपरी परत:** साइड-ऑन या टिल्डेड ओरिएंटेशन।
- स्थिरीकरण तंत्र:
 - हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक अंतःक्रियाएं,** और **इलेक्ट्रोस्टैटिक बल**।

3. संरचनात्मक विश्लेषण:

- हाइड्रोफिलिक सतह:** लाइसोजाइम ने **प्राकृतिक ग्लोब्यूलर संरचना** बनाए रखी।
- हाइड्रोफोबिक सतह:** संरचना **थोड़ी लम्बी** हो गई।

4. सतह संपर्क और कोण:

- संपर्क कोण** बढ़ने पर बाइलेयर फिल्म में लाइसोजाइम अणुओं की संख्या अधिक देखी गई।

यह शोध **इम्प्लांट्स और बायोमटेरियल्स** में आयन-आधारित प्रोटीन अंतःक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायक है।

बायोमटेरियल्स और इम्प्लांट्स पर प्रभाव:

1. आयन-प्रेरित प्रोटीन एडसॉर्प्शन की क्षमता:

- इम्प्लांट सतहों पर आयन-प्रेरित प्रोटीन एडसॉर्प्शन की पुनरावृत्ति बायोमटेरियल डिजाइन में **उभरती संभावनाओं** को दर्शाती है।

2. अध्ययन का महत्व:

- यह अध्ययन **आयनीक वातावरण** में प्रोटीन के व्यवहार को समझने के लिए एक मॉडल प्रदान करता है।
- बायोमटेरियल्स और मेडिकल इम्प्लांट्स** की **बायोकम्पैटिबिलिटी** और कार्यक्षमता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।

लाइसोजाइम और आयन-प्रेरित एडसॉर्प्शन:

1. लाइसोजाइम क्या है?

- लाइसोजाइम** एक एंजाइम है जो मानव **आंसुओं, पसीने, दूध, और लार** में पाया जाता है।
- इसमें **चार डिसल्फाइड बॉन्ड** के साथ सिस्टिन की मात्रा होती है।
- इसका उपयोग **टेस्ट ट्यूब प्रयोगों** में व्यापक रूप से किया जाता है।

2. मानव प्रणाली में आयनों की भूमिका:

- आयन कई जैविक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे:
 - मांसपेशियों का संकुचन।**
 - द्रव संतुलन।**
 - इलेक्ट्रिकल केमिकल ग्रेडिएंट।**

3. आयन-प्रेरित एडसॉर्प्शन का महत्व:

- जब **इम्प्लांट्स** शरीर के ऊतकों में डाले जाते हैं, तो **आयन-सहायता प्राप्त प्रोटीन-सतह अंतःक्रियाएं** होती हैं।
- इन अंतःक्रियाओं का ज्ञान:
 - बायोमटेरियल्स और इम्प्लांट्स** की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सुधारने में सहायक हो सकता है।

पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने की सिफारिश / Recommendation to link identity card with Aadhar card

संदर्भ:

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने मतदाता धोखाधड़ी को रोकने और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए **मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) को आधार कार्ड से जोड़ने की सिफारिश** की है।

- यह कदम चुनाव प्रणाली को अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए, इसके लाभ और हानियों पर चर्चा करें।

आधार और वोटर आईडी को जोड़ने का पृष्ठभूमि:

प्रारंभिक निर्णय (2015):

- **उद्देश्य:** मतदाता सूची से **फर्जी और डुप्लीकेट** प्रविष्टियों को हटाना।
- **स्वैच्छिक प्रक्रिया:** आधार और वोटर आईडी को जोड़ना अनिवार्य नहीं था।
- **रोक:** सुप्रीम कोर्ट के **11 अगस्त 2015** के फैसले के बाद इस प्रक्रिया को रोका गया।
 - आधार का उपयोग केवल 3 सरकारी योजनाओं तक सीमित किया गया:
 - **पीडीएस:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण।
 - **पीएमजेडीवाई:** प्रधानमंत्री जन धन योजना।
 - **मनरेगा:** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला (2018):

- आधार की वैधानिकता को बरकरार रखा गया।
- **निजता का अधिकार:** सरकार विशिष्ट कानून और उचित उद्देश्य के साथ इसे सीमित कर सकती है।
 - **मामला:** के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ।

2019 के बाद चुनाव आयोग (ECI) का रुख:

- आधार और वोटर आईडी को जोड़ने का प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत।
- **प्रस्तावित संशोधन:**
 - चुनाव कानूनों में बदलाव के लिए सरकार को अनुरोध।
 - 2021 में **चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक** लाया गया।
 - आधार और वोटर आईडी को जोड़ने के लिए कानूनी आधार प्रदान किया गया।

नई प्रक्रियाएँ:

- **फॉर्म 6:** नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए आधार विवरण का प्रावधान।
- **फॉर्म 6B:** मौजूदा मतदाताओं से आधार नंबर एकत्र करने के लिए नया फॉर्म।

आधार और वोटर आईडी को जोड़ने के फायदे:

1. **डुप्लीकेट प्रविष्टियों का उन्मूलन:** वोटर आईडी की डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन को खत्म कर चुनावी सूचियों की शुद्धता बढ़ाना।
2. **सटीकता में सुधार:** पहचान सत्यापन से मतदाता सही निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होंगे।
3. **सरलीकरण:** ऑनलाइन पंजीकरण अपडेट करना आसान होगा, जिससे अधिक नागरिक चुनाव में भाग लेंगे।
4. **सुरक्षा: बायोमेट्रिक आधार से पहचान** चोरी और फर्जी मतदान रोका जाएगा।
5. **सरकारी सेवाओं की सुविधा:** आधार और वोटर आईडी लिंक होने से **सरकारी लाभ प्राप्त करना** आसान होगा।
6. **चुनावी सुधार:** आधार लिंकिंग से **दूरस्थ और इंटरनेट आधारित मतदान जैसे सुधारों** में मदद मिलेगी।

आधार और वोटर आईडी को जोड़ने के नुकसान:

1. **गोपनीयता:** निजी जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता पर सवाल उठते हैं, जैसे राजनीतिक माइक्रोटार्गेटिंग और व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग।
2. **बहिष्करण का जोखिम:** जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें मतदान या संबंधित सेवाओं तक पहुंच में कठिनाई हो सकती है, विशेष रूप से हाशिये पर स्थित समूहों को।
3. **वोटों का वंचित होना:** डेटा एंट्री या जानबूझकर डिलीट होने से असली वोटर वोट देने से वंचित हो सकते हैं, जैसा कि 2018 में NERPA के दौरान हुआ।
4. **अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग:** आधार लिंकिंग के बावजूद, प्रशासनिक हेरफेर, जैसे राजनीतिक उद्देश्यों से नामों का गलत तरीके से हटाना संभव है।
5. **स्वैच्छिक प्रकृति:** लिंकिंग स्वैच्छिक होने के बावजूद, कुछ लोग गलत जानकारी या इसके प्रभावों को न समझने के कारण दबाव महसूस कर सकते हैं।

पल्लास की बिल्ली / Pallas's cat

संदर्भ:

हाल ही में हिमाचल प्रदेश, भारत में स्नो लेपर्ड सर्वे के दौरान **पल्लास की बिल्ली (Pallas's cat)** का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है। यह घटना भारतीय हिमालय क्षेत्र में कम-ज्ञात प्रजातियों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। यह अद्वितीय प्रजाति के अस्तित्व का पता चलने से यह सिद्ध होता है कि हमें इन दुर्लभ और महत्वपूर्ण प्रजातियों के संरक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

पल्लास की बिल्ली (Pallas's Cat) के बारे में:

1. वैज्ञानिक नाम: पल्लास की बिल्ली को मैनुल (Otocolobus manul)

भी कहा जाता है, और यह बिल्ली परिवार (**Felidae**) की एक छोटी, लंबे बालों वाली प्रजाति है।

2. नामकरण: इसे 1776 में पीटर साइमन पल्लास द्वारा नामित किया गया था, जिन्होंने इसे रूस के लेक बायकल के पास एकत्रित किए गए नमूनों के आधार पर सबसे पहले वर्णित किया था।

3. वितरण:

- यह मुख्य रूप से **मध्य एशिया** में पाया जाता है।
- इसके वितरण क्षेत्र में **पश्चिमी ईरान, मंगोलिया, चीन, रूस (मंगोलिया और चीन की सीमा पर), कजाखिस्तान और किर्गिस्तान** शामिल हैं।
- इन क्षेत्रों में यह पहाड़ी मैदानों और अर्ध-रेगिस्तानी ढलानों में निवास करता है।

4. विशेषताएँ:

- यह एक नरम फर वाली प्रजाति है, जो आकार में घर की बिल्ली के समान होती है और इसका रंग हल्का सिल्वर ग्रे या हल्का भूरा होता है।
- सिर और शरीर की लंबाई 45 से 60 सेंटीमीटर (18 से 24 इंच) तक होती है, जबकि पूंछ की लंबाई 23-30 सेंटीमीटर होती है।
- वजन 2.5 से 3.5 किलोग्राम (5.5 से 7.7 पाउंड) के बीच होता है।
- इसे चौड़े सिर, उच्च सेट आँखों और निचे सेट कानों से पहचाना जा सकता है।



• इसकी पूंछ का अंत काले रंग में छल्ले से ढंका होता है, और कुछ व्यक्तियों के शरीर पर घुंघुले, काले धब्बे होते हैं।

• इसके शरीर के निचले भाग का फर ऊपरी भाग से लगभग दोगुना लंबा होता है, जो शायद ठंडी ज़मीन पर लेटने और झुकने की आदत को दर्शाता है।

5. आवास:

- इसके दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में, जहां सर्दियों में ठंडे और शुष्क सर्दियां होती हैं और गर्मियों में मध्यम से कम बारिश होती है, इसका आवास प्रभावित होता है।
- इस क्षेत्र की सामान्य वनस्पति में **छोटे झाड़ियाँ, सागवृथ (Artemisia), फेस्टुका और स्टिपा घास** शामिल हैं।

6. संरक्षण स्थिति:

- **IUCN रेड लिस्ट:** न्यूनतम चिंता (Least Concern)
- **CITES:** परिशिष्ट II

इन-फ्लाइट वाई-फाई सेवा / In-flight Wi-Fi services

संदर्भ:

एयर इंडिया ने इन-फ्लाइट वाई-फाई सेवाओं की शुरुआत की है, जिससे यह भारत की पहली एयरलाइन बन गई है जो घरेलू उड़ानों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करती है।

एयर इंडिया के घरेलू उड़ानों में वाई-फाई सेवा का विस्तार:

1. उपलब्धता:

- एयरबस A350, बोइंग 787-9, और चुनिंदा एयरबस A321neo विमानों में वाई-फाई सेवा प्रदान की जाएगी।
- यह सेवा उन विमानों में उपलब्ध होगी जो 2024 में विस्तार के साथ विलय के बाद एयर इंडिया को मिले हैं।

2. सुविधा की तकनीकी तैयारी:

- इन विमानों में ऑनबोर्ड इंटरनेट के लिए आवश्यक हार्डवेयर पहले से ही स्थापित है।

3. पूर्व स्थिति:

- विस्तार पहले से चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर नेल्को और पैनासोनिक एवियोनिक्स कॉर्पोरेशन की साझेदारी में यह सेवा प्रदान कर रहा था।
- अब यह साझेदारी एयर इंडिया की घरेलू उड़ानों में भी विस्तारित की गई है।

4. कनेक्टिविटी प्रक्रिया:

- यात्री अपने डिवाइस पर वाई-फाई चालू करें।
- 'Air India Wi-Fi' नेटवर्क से कनेक्ट करें।
- पोर्टल पर रीडायरेक्ट होने पर अपना पीएनआर और अंतिम नाम दर्ज करें।

5. योजना का महत्व:

- यह रोलआउट, जो पहले अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पायलट प्रोग्राम के रूप में शुरू हुआ था, अब घरेलू उड़ानों तक विस्तारित हो रहा है।
- एयर इंडिया के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप यात्री अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

इन-फ्लाइट वाई-फाई कैसे काम करता है?

1. वाई-फाई एंटेना:

- विमान के केबिन में कई वाई-फाई एंटेना लगे होते हैं जो यात्रियों के उपकरणों से सिग्नल प्राप्त करते हैं।
- ये सिग्नल इन-केबिन एंटेना से ऑनबोर्ड सर्वर तक भेजे जाते हैं।

2. इन-फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए तकनीकें:

इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी सिस्टम मुख्य रूप से दो प्रकार की तकनीकों का उपयोग करते हैं:

- विशेष एंटेना और अन्य उपकरण विमान में स्थापित किए जाते हैं।

(i) एयर-टू-ग्राउंड (ATG) तकनीक:

- **कार्यप्रणाली:** विमान के नीचे एक एंटेना लगाया जाता है जो निकटतम ग्राउंड टावर या ग्राउंड रिसीवर से सिग्नल प्राप्त करता है और विमान में कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

○ सीमाएं:

- ग्राउंड टावर की उपलब्धता सबसे बड़ी सीमा है।
- यदि विमान जल निकाय, रेगिस्तानी भूमि, या कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों से गुजरता है, तो नेटवर्क बाधित हो सकता है।

(ii) सैटेलाइट-आधारित कनेक्टिविटी:

○ कार्यप्रणाली:

- इंटरनेट को ग्राउंड स्टेशन से उपग्रहों के माध्यम से विमान तक प्रेषित किया जाता है।
- एंटेना विमान के ऊपर लगे होते हैं जो सिग्नल प्राप्त करते हैं।

फायदा:

- यह व्यापक कवरेज प्रदान करता है।
- यह उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है जहां ग्राउंड टावर उपलब्ध नहीं होते, जैसे समुद्र के ऊपर।

चिंताएँ:

- एन्क्रिप्शन की कमी
- फर्जी नेटवर्क
- मैलवेयर का खतरा
- मैन-इन-द-मिडल अटैक
- डिवाइस कमजोरियाँ

यूरोप को रूसी गैस निर्यात रोक गया / Russian gas exports to Europe halted

संदर्भ:

यूरोप को गैस सप्लाई करने का रूस का सबसे पुराना मार्ग, जो 40 से अधिक वर्षों से संचालित था, 1 जनवरी 2025 से बंद हो गया। यह कदम तब उठाया गया जब यूक्रेन की कंपनी नफ्तोगैज ने गज़प्रोम के साथ पांच वर्षीय ट्रांजिट समझौते को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया।

गैस आपूर्ति बंद होने के प्रमुख बिंदु:

ट्रांजिट समझौते का अंत:

- रूस और यूक्रेन के बीच **पांच वर्षीय गैस ट्रांजिट समझौता 1 जनवरी 2025** को समाप्त हो गया।
- युद्ध के बीच **राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण यूक्रेन ने इस समझौते को नवीनीकृत करने से इनकार** कर दिया।

गैस ट्रांजिट पर प्रभाव:

- यूक्रेन की पाइपलाइनों से **रूस के यूरोप को होने वाले कुल गैस निर्यात का लगभग आधा हिस्सा** आता था।
- इस कदम के तहत यूरोप ने रूसी ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

व्यापक प्रभाव:

वित्तीय नुकसान:

- यूक्रेन को ट्रांजिट फीस में **अनुमानित \$800 मिलियन वार्षिक नुकसान** हो सकता है।
- गज़प्रोम को **लगभग \$5 बिलियन के वार्षिक गैस बिक्री नुकसान** की संभावना है।

यूरोप का ऊर्जा संक्रमण:

- 2022 से यूरोप ने ऊर्जा स्रोतों में** विविधता लाने के प्रयास किए हैं।
- टर्कस्ट्रीम जैसी वैकल्पिक पाइपलाइनों के माध्यम से तुर्की, हंगरी और सर्बिया को आपूर्ति जारी है।

प्रभावित क्षेत्र:

- मोल्दोवा, जो रूसी गैस पर अत्यधिक निर्भर है, अपनी गैस खपत में एक-तिहाई की कटौती कर सकता है।
- स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया जैसे देशों ने वैकल्पिक आपूर्ति का प्रबंधन किया है।

रूस के लिए रणनीतिक झटका:

- यूरोपीय गैस बाजार में रूस का प्रभुत्व **2022 के बाद 35% से काफी कम** हो गया।
- यामल-यूरोप और नॉर्ड स्ट्रीम जैसी पाइपलाइनों** के बंद होने से रूस के ऊर्जा निर्यात पर और अधिक असर पड़ा है।

यूक्रेन गैस मार्ग के बारे में:

सोवियत काल का पाइपलाइन नेटवर्क:

- उरेनगोय-पोमारी-उझगोरोड पाइपलाइन** सोवियत युग की एक प्रमुख गैस पाइपलाइन है, जो साइबेरिया से गैस लेकर आती है।
- यह पाइपलाइन **रूस के कुर्स्क क्षेत्र में स्थित सुझा शहर से होकर** गुजरती है, जो अब यूक्रेनी सैन्य बलों के नियंत्रण में है।

गैस का प्रवाह:

- यह पाइपलाइन **यूक्रेन से स्लोवाकिया तक** गैस पहुंचाती है।
- स्लोवाकिया में, यह गैस पाइपलाइन विभिन्न शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जो चेक गणराज्य और ऑस्ट्रिया तक जाती हैं।

यूरोप के लिए वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत:

विविधता: यूरोपीय संघ ने रूस के गैस पर निर्भरता को बहुत हद तक घटा दिया है, और इसके स्थान पर विभिन्न वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग किया है:

- संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर और अन्य देशों से प्राप्त तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG)**
- नॉर्वे और उत्तर अफ्रीका से पाइपलाइन आयात

बचे हुए मार्ग:

- अन्य प्रमुख **रूसी गैस मार्ग, जैसे यमल-यूरोप (बेलारूस के माध्यम से) और नॉर्ड स्ट्रीम (बाल्टिक सागर के माध्यम से), अब परिचालन में नहीं हैं।**
- टर्कस्ट्रीम पाइपलाइन एक विकल्प के रूप में बनी हुई है, जो तुर्की और मध्य यूरोप के कुछ हिस्सों को गैस आपूर्ति करती है, लेकिन इसकी क्षमता सीमित है।

यूरोप में रणनीतिक समायोजन:

बुनियादी ढांचा और सहयोग:

- स्लोवाकिया को हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, और पोलैंड से गैस आपूर्ति** मिल सकती है।
- चेक गणराज्य स्लोवाकिया को ट्रांजिट और भंडारण क्षमता प्रदान करने के लिए तैयार है।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन / United Nations Framework Convention on Climate Change

संदर्भ:

भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) को अपना चौथा द्विवार्षिक अपडेट रिपोर्ट (BUR-4) प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में भारत के ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन की जानकारी और इसे कम करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

1. GHG उत्सर्जन में कमी:

- 2005 से 2020 के बीच भारत के GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी।
- 2030 तक इसे 45% तक कम करने के लक्ष्य पर काम जारी।

2. क्षेत्रवार उत्सर्जन:

- ऊर्जा क्षेत्र: 75.66%
- कृषि क्षेत्र: 13.72%
- औद्योगिक प्रक्रियाएँ: 8.06%
- अपशिष्ट प्रबंधन: 2.56%

3. GHG गैसों का वर्गीकरण:

- कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂): 80.53%
- मीथेन (CH₄): 13.32%
- नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O): 5.13%

4. राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्यों पर प्रगति:

- 2005 से 2020 के बीच GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी।
- गैर-जीवाश्म ईंधन की क्षमता 46.52% तक पहुँची।
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 203.22 GW तक बढ़ी।
- 2005-2021 के बीच वनीकरण के जरिए अतिरिक्त 2.29 बिलियन टन CO₂ अवशोषित।

5. जलवायु लक्ष्यों की दिशा में प्रयास:

- भारत 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने की ओर अग्रसर है।



UNFCCC: मुख्य बिंदु

1. स्थापना:

- 1992 में रियो अर्थ समित में अपनाया गया।
- उद्देश्य: ग्रीनहाउस गैसों के सांद्रण को स्थिर करना ताकि ग्लोबल वार्मिंग को सीमित किया जा सके।

2. मुख्यालय:

- बॉन, जर्मनी।

3. मूल सिद्धांत:

- समानता और *कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज (CBDR)*
- विकसित देशों को जलवायु कार्रवाई में अग्रणी भूमिका निभानी होगी।

4. सदस्यता:

- इसमें 198 पार्टियां शामिल हैं, जो लगभग वैश्विक भागीदारी दर्शाती हैं।

5. मुख्य समझौते:

- **क्योटो प्रोटोकॉल (1997):** अनिवार्य उत्सर्जन कटौती लक्ष्य।
- **पेरिस समझौता (2015):** ग्लोबल वार्मिंग को 1.5°C तक सीमित करने की वैश्विक प्रतिबद्धता।

6. बैठकें:

- *कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज (COP)* की वार्षिक बैठकें, प्रगति की समीक्षा और लक्ष्य तय करने के लिए आयोजित की जाती हैं।

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग स्थापना / Establishment of the All India Muslim League**संदर्भ:**

30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (एआईएमएल) की स्थापना हुई, जिसने भारत के विभाजन में अहम भूमिका निभाई।

परिचय:

- अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (जिसे मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है) ब्रिटिश भारत में 1906 में स्थापित एक राजनीतिक दल था।
- यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विकल्प के रूप में बनाया गया था।
- इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व करना था।

गठन के कारण:**1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की प्रतिक्रिया:**

- कांग्रेस के राष्ट्रवादी रुख के कारण मुसलमानों को लगा कि उनकी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पहचान का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है।

2. मुगल साम्राज्य का पतन:

- मुगलों के पतन और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के चलते मुसलमान अपनी पारंपरिक आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व खो बैठे।

3. शैक्षिक संस्थानों की स्थापना:

- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों ने मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया।

प्रमुख प्रस्ताव:**1. लखनऊ समझौता (1916):**

- बाल गंगाधर तिलक की अगुवाई में कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किया।
- इसमें हिंदू-मुस्लिम संयुक्त राजनीतिक कार्रवाई और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सहमति बनी।

2. लाहौर प्रस्ताव (1940):

- जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग एक जन आंदोलन में तब्दील हुई।
- मार्च 1940 में हुए इस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की गई।
- प्रस्ताव में कहा गया कि "हिंदू राष्ट्र" के वर्चस्व में कांग्रेस मुसलमानों के साथ न्याय नहीं करेगी।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी:**1. स्वतंत्र भारत में एकता की मांग:**

- मुस्लिम लीग ने शुरू में स्वतंत्र भारत में एकता की वकालत की, लेकिन उन्हें डर था कि हिंदू बहुसंख्यक आबादी के कारण मुसलमानों का दबदबा खत्म हो सकता है।

2. प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) के बाद का सहयोग:

- मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के तहत स्वराज (होम रूल) की मांग की।

3. जिन्ना के 14 सूत्रीय प्रस्ताव (1920-30):

- मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के अधिकारों को समेकित कर 14 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किए।
- इसमें संघीय सरकार बनाने और केंद्रीय सरकार में मुसलमानों के लिए एक-तिहाई प्रतिनिधित्व की मांग शामिल थी।

4. द्वितीय विश्व युद्ध (1939):

- ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा भारत की सहमति के बिना की।
- कांग्रेस ने इसका विरोध किया, जबकि मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश शासन की आलोचना करते हुए भी युद्ध का समर्थन किया, ताकि स्वतंत्रता वार्ता में बेहतर स्थिति हासिल की जा सके।

5. 'दो राष्ट्र सिद्धांत' (1940):

- जिन्ना ने ब्रिटिश भारत के वर्तमान क्षेत्रों से एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग शुरू की।
- पाकिस्तान के विचार को भारतीय मुसलमानों के बीच व्यापक समर्थन मिला।

नोरोवायरस / Norovirus

संदर्भ:

दिसंबर 5 के सप्ताह के दौरान, CDC ने 91 मामलों की पुष्टि की, जो 2021 से 2024 के बीच दर्ज किए गए सबसे अधिक मामलों से दोगुने से भी ज्यादा हैं।

नोरोवायरस प्रकोप:

1. भारत में प्रकोप:

- नोरोवायरस के छोटे-छोटे प्रकोपों की सूचना भारत में भी मिली है, खासकर केरल में।

2. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार:

- नोरोवायरस हर साल अनुमानित 685 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है, जिसमें 200 मिलियन बच्चे पांच साल से कम आयु के होते हैं।

3. संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार:

- नोरोवायरस देश में होने वाली सभी खाद्य जनित बीमारियों का 58% कारण है।

नोरोवायरस के बारे में:

1. परिचय:

- नोरोवायरस एक सामान्य और अत्यधिक संक्रामक वायरस है, जो पेट और आंतों में सूजन (गैस्ट्रोएंटराइटिस) का कारण बनता है।
- इसे कभी-कभी 'स्टमक फ्लू' या 'विटर वोमिटिंग बग' भी कहा जाता है।
- यह वायरस सभी आयु समूहों के लोगों को प्रभावित कर सकता है और बहुत आसानी से और जल्दी फैलता है।

2. प्रभाव और प्रसार:

- नोरोवायरस वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस के प्रकोपों का लगभग 90% और दुनिया भर में मामलों का 50% कारण बनता है।
- यह जीवन में कई बार संक्रमित कर सकता है, क्योंकि नोरोवायरस के कई अलग-अलग प्रकार होते हैं।

WHAT IS NOROVIRUS ?

Norovirus is a highly contagious virus that leads to diarrhea, vomiting, and stomach pain. Anyone can get sick with norovirus, and it spreads very quickly and easily.



3. संक्रमण का तरीका:

- यह आमतौर पर भोजन या पानी के माध्यम से फैलता है, जो तैयारी के दौरान दूषित हो जाता है, या दूषित सतहों के माध्यम से।
- यह संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क से भी फैल सकता है।

4. लक्षण:

- नोरोवायरस के प्रारंभिक लक्षण उल्टी और/या दस्त होते हैं, जो वायरस के संपर्क में आने के एक या दो दिन बाद दिखाई देते हैं।
- मरीजों को जी मचलना, पेट में दर्द, बुखार, सिरदर्द और शरीर में दर्द भी महसूस हो सकता है।
- गंभीर मामलों में, तरल पदार्थों की कमी के कारण निर्जलीकरण हो सकता है।

5. इलाज:

- नोरोवायरस को रोकने के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है।
- इलाज का मुख्य उद्देश्य लक्षणों को कम करना होता है।
- तीव्र अवस्था में, शरीर में जल की कमी को बनाए रखना आवश्यक है।
- गंभीर मामलों में, मरीजों को अंतःशिरा (IV) माध्यम से तरल पदार्थ देना पड़ सकता है।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !



ANKIT AVASTHI




RRB NTPC

TEST SERIES

- ✓ 100+ Mock Test
- ✓ 78 Sectional Test
- ✓ 40+ years PYPs
- ✓ 60+ Current affairs

TEST



Only

99 *Per Year*

Buy Now



GA FOUNDATION





Hand Written
Notes


Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर


Ani
Ankit Inspires India

₹ **Only**
1999

**4 पुस्तकों का
सम्पूर्ण सेट**



अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

 **7878158882**



APNI PATHSHALA

UPPSC, RO/ARO, BPSC, UP

TEST SERIES

UPPSC

(TEST SERIES)

- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

RO/ARO

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

BPSC

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299
YEAR

SSC

(TEST SERIES)

- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR

RPF

(TEST SERIES)

- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR



Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

▶ POLITY ▶ ECONOMICS
▶ HISTORY ▶ GEOGRAPHY

FOR ALL

-  DAILY LIVE CLASSES
-  WEEKLY TEST
-  CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
-  LIVE DOUBT SESSIONS
-  DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs

4999/-



Apni Pathshala  7878158882

 Apni.Pathshala  kaankit  AnkitAvasthiSir  Avasthiankit

ONLY POLITY



1499
RS

DAILY LIVE CLASSES

-  WEEKLY TEST
-  CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
-  LIVE DOUBT SESSIONS
-  DAILY PRACTISE PROBLEM

Apni Pathshala



7878158882



Apni.Pathshala



kaankit



AnkitAvasthiSir



Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,
Stenographer (Grades C & D)



Only at

99/- Year

Enroll Now!

